

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा राजस्थान

क्रमांक /स्था/09/

दिनांक 8.12.2009

:: कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक बांसवाडा का पत्र क्रमांक 15316-17 दिनांक 12.11.09 प्राप्त होने से और जिले में महिला पुलिस थाना व आबकारी थाने स्थापित हो जाने के कारण पूर्ववर्ती समस्त आदेश का अतिलिखित करते हुए बांसवाडा जिले में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो के प्रसंज्ञान, जांच, विचारण एवं निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकार संबंधी पूर्ववर्ती आदेश को संशोधित कर पुनः नवीन आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 14, 1, एवं 15:1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बृजेश पुरोहित राज.न्या.सेवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा निम्न आदेश पारित करता हूँ-

1- मुख्य न्यायिक मजि.बांसवाडा

- अ- आरक्षी केन्द्र कोतवाली बांसवाडा एवं महिला थाना बांसवाडा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समस्त आपराधिक मामले तथा आबकारी वृत्त बांसवाडा एवं आबकारी थाना बांसवाडा से संबंधित समस्त मामले! |उन मामले को छोडकर जिनके लिए विशेष रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।



ब - कुशलगढ उपखण्ड को छोडकर बांसवाडा जिले में उद्भूत खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 धारा 467, 468, 71, 409 भा 0 द 0 सं 0 आवश्यक वस्तु अधिनियम, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, कीटनाशी अधिनियम, 1968 से संबंधित समस्त मामले

2- अति.मुख्य न्यायिक मजि., बांसवाडा

- आरक्षी केन्द्र सदर बांसवाडा में उद्भूत समस्त आपराधिक मामले |उन मामले को छोडकर जिनके लिए विशेष रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

3- न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा

- आरक्षी केन्द्र आंबापुरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समस्त आपराधिक मामले। |उन मामले को छोडकर जिनके लिए विशेष रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

• धारा 125 व 128 द 0 प्र 0 सं 0 से संबंधित बांसवाडा मुख्यालय स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों से संबंधित समस्त मामले।

4- अति.सिविल न्यायाधीश, क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा

- आरक्षी केन्द्र दानपुर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, आरक्षी केन्द्र माटीडेम के क्षेत्राधिकार के तहसील बांसवाडा से संबंधित क्षेत्र में उत्पन्न समस्त आपराधिक मामले |उन मामले को छोडकर जिनके लिए विशेष रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

5- अति.मुख्य न्यायिक मजि. कुशलगढ

- आरक्षी केन्द्र कुशलगढ, पाटन तथा सल्लोपाट, कलिजरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत वे समस्त आपराधिक मामले जो राजस्व तहसील कुशलगढ से संबंधित है एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण

अधिनियम, 1954, धारा 467, 468, 471, 409 भा 0 द 0 सं 0, आवश्यक वस्तु अधिनियम, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, आबकारी थाना कुशलगढ से संबंधित मामले

6-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागीदौरा

- आरक्षी केन्द्र आनन्दपुरी, एवं कलिंजरा तथा सल्लोपाट के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समस्त मामले जो राजस्व तहसील बागीदौरा से संबंधित हो, आबकारी थाना कुशलगढ व बांसवाडा से संबंधित वे मामले जो बागीदौरा राजस्व तहसील में उद्भूत होने वाले हैं। उन मामलो को छोडकर जिनके लिए विशेष रूप से

अन्य मजिस्ट्रेटको अधिकृत किया गया है।

7-न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढी

- आरक्षी केन्द्र गढी एवं लोहारिया थाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत एवं आबकारी थाना बांसवाडा में उद्भूत राजस्व तहसील गढी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न समस्त मामले। उन मामलो को छोडकर जिनके लिए विशेष रूप से अन्य मजिस्ट्रेटको अधिकृत किया गया है।

8-न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल

- आरक्षी केन्द्र खमेरा, लोहारिया एवं माहीडेम थाना में उद्भूत राजस्व तहसील घाटोल से संबंधित मामले तथा आबकारी थाना घाटोल में उद्भूत समस्त मामले। उन मामलो को छोडकर जिनके लिए विशेष रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

यह आदेश दिनांक 8.12.09 से प्रभावी होगा एवं इस आदेश से पूर्व जो भी मामले जिन न्यायालयों में विचाराधीन है उनको प्रभावित नहीं करेगा।

9/12

: बृजेश पुरोहित :
मुख्य न्यायिक मजि.
बांसवाडा।

क्रमांक / स्था 0 / 09 / 95

दिनांक 8.12.09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है-

- 1-श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- 2-श्रीमान् जि ला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाडा
- 3-श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाडा
- 4-श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा
- 5-अति 0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा / कुशलगढ
- 6-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाडा / गढी / घाटोल / बागीदौरा
- 7-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा
- 8-पुलिस उप अधीक्षक, बांसवाडा / कुशलगढ / घाटोल
- 9-अति 0 सिविल न्यायाधीश, क 0 ख 0: एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा
- 10-समस्त आरक्षी केन्द्र जिला बांसवाडा
- 11-सहायक निदेशक अभियोजन विभाग, बांसवाडा
- 12-जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा
- 13-अध्यक्ष बार एसोसिएशन बांसवाडा / गढी / घाटोल / कुशलगढ / बागीदौरा

14-श्रम निरीक्षक ,बांसवाडा


15-सहायक खान अभियन्ता, बांसवाडा

16-क्षेत्रिय वन अधिकारी,बांसवाडा / कुशलगढ / घाटोल / गढी / बागीदौरा / दानपुर

17-खाद्य निरीक्षक ,बांसवाडा

18-वाणिज्य कर अधिकारी, बांसवाडा

19-जन सम्पर्क अधिकारी,बांसवाडा



ः षृजेश पुरोहित ः

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाडा ।

1-~~श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय,राज0उच्च न्यायालय,जोधपुर~~